

Dainik Navjyoti, Jaipur

12 May, 2017

Page No. 03 (Nav X- Pres)

ट्रिपलआईटी को डिग्री इशू करने की पावर देने के लिए ऑर्डिनैस ला सकती है सरकार

नव एक्सप्रेस

केंद्र सरकार देश के 15 इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नॉलोजी (आईआईआईटी) के लिए एक अध्यादेश लाने की योजना बना रही है ताकि इन संस्थानों को जल्दी से डिग्री देने की शक्ति मिल जाए। इन संस्थानों की स्थापना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड के तहत हुई थी। यह जानकारी इस मामले की प्रगति से जुड़े सूत्रों ने दी है।

इस साल इस तरह के पांच आईआईआईटी में छात्रों का कोर्स पूरा हो रहा है। अगर कानून बनाकर इन संस्थानों को डिग्री जारी करने का पावर नहीं दिया गया तो इन छात्रों को डिग्री नहीं मिल पाएगी। इसीलिए इमर्जेंसी में यह कदम उठाने पर गौर किया जा रहा है। इस संबंध में लोक सभा में एक महीने पहले विधेयक पेश किया गया था। डिग्री के अभाव में छात्र नौकरी नहीं कर पाएंगे। इसे देखते हुए इस समस्या का समाधान निकालने के लिए काफी दबाव है।

पिछले साल इससे संबंधित विधेयक को पीएमओ और एचआरडी मिनिस्ट्री के बीच कुछ मतभेद के कारण रोक लिया गया था। एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावडेकर ने कार्यभार



संभालने के तुरंत बाद इस मामले के वैकल्पिक समाधान का निर्णय लिया था। पीएमओ के सुझाव पर उन्होंने आईआईआईटी को यूजीसी के पास डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए

आवेदन करने को कहा था। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने से इन संस्थानों को डिग्री देने की पावर मिल जाएगी। लेकिन ज्यादातर संस्थान डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए निर्धारित मापदंड को पूरा नहीं करते हैं, इसलिए यह समाधान काम नहीं कर सका।

अंत में इस साल मार्च में आईआईआईटी बिल को कैबिनेट मंजूरी के लिए रखने का फैसला लिया गया। पिछले महीने लोकसभा में इस विधेयक को पेश किया गया, लेकिन वहां विधायी प्रक्रियाओं में यह विधेयक अटक गया। इस वजह से अध्यादेश लाने की जरूरत महसूस हुई।

पीपीपी मोड पर 20 आईआईआईटी स्थापित करने की योजना थी, जिनमें से 15 चालू हैं। विधेयक में पीपीपी मोड पर स्थापित 15 आईआईआईटी को डिग्री जारी करने के पावर के साथ राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया है। सूत्रों ने बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय अपनी ओर से अध्यादेश के प्रस्ताव को कानून मंत्रालय के पास भेज चुका है। कानून मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद अध्यादेश को कैबिनेट के पास ले जाया जाएगा और फिर मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास।